रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2010/माघ 9, 1931
No. 172] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2010/MAGHA 9, 1931

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2010

का.आ. 212(अ).—अंतर्राज्यिक जल नदी विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना सं. का.आ. 451(अ), द्वारा 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का गठन, अंतर्राज्यिक कृष्णा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए किया गया था;

और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से आपेक्षा की गई थी कि वह अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय 1 अप्रैल, 2007 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करें;

और उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाने का समय-समय पर अनुरोध किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का.आ. 400(अ), तारीख 20 मार्च, 2007, का.आ. 414(अ), तारीख 3 मार्च, 2008, का.आ. 2116(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 1 अप्रैल, 2009 तक बढ़ा दिया था;

और कर्नाटक सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से रिट याचिका 408/2008 द्वारा निवेदन किया है कि वह केन्द्रीय सरकार को फरवरी या मार्च, 2006 को अधिकरण के गठन की तारीख के रूप में निश्चित करने के लिए निदेश दें;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसम्बर, 2008 को मामले की सुनवाई की और निदेश दिया कि अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन कृष्णा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 1 फरवरी, 2006 होगी;

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 1 फरवरी, 2009 से प्रभावी एक वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और न्यायालय के आदेश, अधिसूचना सं. का.आ. 2116(अ), तारीख 27 अगस्त, 2008 तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने, अधिसूचना सं. का.आ. 543(अ), तारीख 25 फरवरी, 2009 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 1 फरवरी, 2009 से प्रभावी एक वर्ष की एक और अवधि के लिए 31 जनवरी, 2010 तक बढ़ाया था;

और उक्त अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति करने की अवधि को 1 फरवरी, 2010 से प्रभावी आठ मास की एक और अवधि के लिए पुन: बढ़ाने का अनुरोध किया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय की प्रस्तुति की अवधि को 30 सितम्बर, 2010 तक के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 17/1/2007-बे.प्र.]

एस. मनोहरन, विशेष सचिव (डब्ल्यू आर)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2010

S.O. 212(E).—Whereas, the Krishna Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on 2nd April, 2004 *vide* notification number S.O. 451(E) under Section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State River Krishna, and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under Sub-section (2) of Section 5 of the said Act on or before the 1st day of April, 2007;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for further periods from time to time;

And whereas, the Central Government *vide* notifications number S.O. 400(E), dated the 20th March, 2007, S.O 414(E), dated 3rd March, 2008, S.O. 2116(E), dated 27th August, 2008 had extended the period of submission of report and decision upto 1st April, 2009;

And whereas, the Government of Karnataka approached Hon'ble Supreme Court *vide* Writ Petition 408/2008 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as February or March, 2006;

Whereas the Hon'ble Supreme Court heard the matter on 17-12-2008 and directed that effective date of the constitution of the Krishna Water Disputes Tribunal under Section 3 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956, would be 1st February, 2006;

And whereas, the said Tribunal again had requested to extend period of submission of its report and decision for a further period of one year with effect from 1st February, 2009;

And whereas, after taking into consideration the Court order, the notification number 2116(E), dated the 27th August, 2008 and the proviso to Sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government *vide* Notification No. S.O. 543(E) dated 25th February, 2009 extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from 1st February, 2009 upto 31st January, 2010.

And whereas, the said Tribunal has again requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of eight months with effect from 1st February, 2010.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (2) of Section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of report and decision by Krishna Water Disputes Tribunal upto 30th September, 2010.

[F. No. 17/1/2007-BM]

S. MANOHARAN, Special Secy. (WR)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.